

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ दिनांक ।। जनवरी, 2018

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—162/2016/623/69—1—2016—14(139)/2015 टीसी दिनांक 21 मार्च, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिये विस्तृत दिशा—निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन को चार घटकों में विभाजित किया गया है:—

(क) क्रृष्ण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना।

(ख) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास।

(ग) भागीदारी में किफायती आवास (ए०एच०पी०)।

(घ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार।

प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के घटक 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार' के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार की ओर से सहायता धनराशि ₹0 1.00 लाख दिया जा रहा है। कुल सहायता धनराशि ₹0 2.50 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा प्लन्थ लेवल तक निर्माण करने पर, आवास के लिन्टर के समय द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत तथा आवास पूर्ण होने पर शेष धनराशि 20 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। लाभार्थी द्वारा अपने स्वयं के संसाधन से प्लन्थ लेवल तक आवास निर्मित होने पर प्रथम किश्त की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।


3. उक्त योजना के सम्बन्ध में यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय चयनित लाभार्थी आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो सकते हैं कि कदाचित् वह अपने संसाधनों से प्लन्थ लेवल तक आवास का निर्माण नहीं कर सकते और यह सम्भव है कि इस कार्य हेतु वह अधिक ब्याज दर पर पैसा ले लें और उस पर क्रृण का अत्यधिक बोझ हो जाय। अतएव इन पहलुओं पर विचार किया गया कि आवास निर्माण हेतु पहली किश्त की धनराशि के रूप में ₹ 50,000/- आवास स्वीकृत होने के उपरान्त ही लाभार्थी के खाते में हस्तगत कर दिया जाय। द्वितीय किश्त की धनराशि ₹ 1,50,000/- छत डालने के पूर्व निर्गत किया जाय तथा तृतीय/अंतिम किश्त ₹ 50,000/- की धनराशि मकान पूर्ण होने पर लाभार्थी के खाते में हस्तगत किया जाय।

4. उपरोक्त पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कुल सहायता की धनराशि ₹ 2.50 लाख में से प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में ₹ 50,000/- आवास स्वीकृत होने के उपरान्त ही लाभार्थी के खाते में हस्तगत की जायेगी। द्वितीय किश्त की धनराशि ₹ 1,50,000/- छत डालने के पूर्व अवमुक्त की जायेगी तथा तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में ₹ 50,000/- की धनराशि मकान पूर्ण होने पर अवमुक्त की जायेगी। उक्त तीनों किश्तों द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के आवास स्वीकृति के उपरान्त जियो टैगिंग (Geo-tagging) आदि की कार्यवाही पूर्ण होने पर सूडा द्वारा सीधे डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही कृत कार्यवाही से शासन को नियमित रूप से अवगत करायें।

पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या—162/2016/623/69—1—2016—14(139)/2015 टीसी दिनांक 21 मार्च, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

भवदीय,


11.1.18
(मनोज कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या—०२/2018/प्रक्रिया(1)/69—1—2017 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः—

1. निजी सचिव, माझे मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
3. संयुक्त सचिव (हाउसिंग फार आल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, ३०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसायन विभाग, ३०प्र० शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, ३०प्र० शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, ३०प्र० शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, ३०प्र० शासन।
14. निदेशक, (हाउसिंग फार आल निदेशालय), भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
16. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डॉडा, उत्तर प्रदेश।
17. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
19. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
20. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र० लखनऊ।
22. निदेशक, सी० एण्ड डॉ०एस०, जल निगम ३०प्र० लखनऊ।
23. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
24. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
25. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रामचंद्रकर्स)

विशेष सचिव।